

माननीय न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढिंढसा के समक्ष

सुशीला जैन ___ याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य ___ प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी No.12269, सन् 2011

23 मई, 2013

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सेवा कानून-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस. 7/13-वेतन अवशिष्ट के लिए - याचिकाकर्ता एक उप-मंडल शिक्षा अधिकारी-उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, और उसे निलंबित कर दिया गया-इस बीच डीपीसी ने एच. ई. एस. वर्ग-1 में पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारियों की संख्या पर विचार किया - याचिकाकर्ता को आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण नजरअंदाज कर दिया गया- इसके बाद, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया- उसकी दरखास्त पर याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया और वेतन निर्धारण और वरिष्ठता का लाभ दिया गया, लेकिन "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" के मूलधन पर उच्च पद के वेतन से इनकार कर दिया गया- उपरोक्त कार्रवाई को रिट याचिका में चुनौती दी गई -यह निर्णय लिया गया कि चूंकि विभाग द्वारा आपराधिक अभियोजन शुरू नहीं किया गया है, इसलिए इसे अवशिष्ट भुगतान के दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है-रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता होगी, वह यह होगा कि क्या नियोक्ता/विभाग को उस अवधि के लिए पदोन्नति पद से संबंधित वेतन अवशिष्ट के भुगतान के दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है जब कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण

पदोन्नत नहीं किया गया था, जिसमें ऐसी कार्यवाही स्वयं विभाग के कहने पर शुरू नहीं की गई थी?

(पैरा 6)

आगे अभिनिर्धारित किया कि स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी-विभाग द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत के अनुसरण में उसके खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया था। भले ही याचिकाकर्ता के मामले पर वर्ष 2003 में ही विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था, फिर भी आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया जा सका। इसके बाद, दोषमुक्ति पर, याचिकाकर्ता को वर्ष 2003 से पूर्वव्यापी रूप से एच. ई. एस. श्रेणी-1 में पदोन्नत किया गया है और उसे वेतन निर्धारण और वरिष्ठता का लाभ भी दिया गया है। यहां तक कि निलंबन अवधि को भी सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर बिताए गए समय के रूप में माना गया। इसे तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन अवशिष्ट के भुगतान का हकदार नहीं होगा जब उसने पदोन्नति के पद के खिलाफ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है।

(पैरा 7)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि एक कर्मचारी को वेतन के भुगतान के संबंध में एक प्रश्न, जिसकी सेवाओं को आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति के कारण समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद बरी होने पर बहाल कर दिया गया था और जिसमें दोषसिद्धि की तरफ जाने वाला अभियोजन, नियोक्ता/विभाग के कहने पर नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, भारत संघ और अन्य बनाम जयपाल सिंह

के मामले में ने 2004 (1) एस. सी. टी. 108, और यह निम्नलिखित शर्तों में आयोजित किया गया था:-

"यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप अंततः संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्ति दिया गया था, आदेश पर या स्वयं विभाग द्वारा किया गया था, तो शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि कोई नागरिक कर्मचारी या लोक सेवक किसी आपराधिक मामले में शामिल हो जाता है और यदि निचली निचली अदालत द्वारा प्रारंभिक दोषमुक्ति के बाद, वह बाद में अपील पर बरी हो जाता है, तो विभाग को किसी भी तरह से उसे सेवा से बाहर रखने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि कानून बाध्य करता है कि किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को इस तरह से बाहर रखा जाए और उसे सेवा में नहीं रखा जाए। नतीजतन, निर्णय में दिए गए कारणों पर भरोसा किया गया, क्योंकि अपीलार्थी न केवल आश्वस्त करने वाले हैं, बल्कि तर्कसंगतता के अनुरूप भी हैं। यद्यपि पुनः प्रतिष्ठापन का निर्देश देने वाले आदेश के उस भाग में दिए गए अपवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है और प्रतिवादी को सेवा में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व निर्वहन केवल उन आपराधिक कार्यवाहियों और दोषसिद्धि के कारण था, अपीलार्थी उस अवधि के लिए प्रतिवादी को वेतन वापस करने से इनकार करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं जब वह सेवा में नहीं था। अपीलार्थी को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए वे प्रत्यर्थी की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी प्रासंगिक पहलुओं और विचारों को ध्यान में रखे बिना, मजदूरी को भी वापस करने की अनुमति देने में एक गंभीर गलती की। नतीजतन, उच्च न्यायालय का आदेश जहां तक उसने वापस मजदूरी के भुगतान का निर्देश दिया है, देय है और इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।

(पैरा 8)

आगे अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय का विचार है कि यही सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होगा।

(पैरा 9)

एस. के. भारद्वाज, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

हरीश राठी, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

तेजिंदर सिंह धिंदसा, न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता को 14.11.1974 पर हरियाणा राज्य शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 1.1.1980 पर नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 11.1.1988 को हेड मिस्ट्रेस के पद पर पदोन्नति अर्जित की और 31.1.1991 पर प्रिंसिपल के रूप में। जबकि याचिकाकर्ता को उप-मंडल शिक्षा अधिकारी, पानीपत के रूप में तैनात किया गया था, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन एसवीबी (एच), रोहतक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को 12.9.2002 पर निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 12.12.2002 से प्रभाव के साथ फिर से स्थापित किया गया था।

(2) एक विभागीय पदोन्नति समिति ने वर्ष 2002 में एच. ई. एस. श्रेणी-1 में पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया, लेकिन याचिकाकर्ता को प्राथमिकी आर. No.17 दिनांक 5.4.2002 दर्ज करने के कारण शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही विचाराधीनता होने के कारण नजरअंदाज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने एच. ई. एस. वर्ग-1 में पदोन्नति के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो उस तारीख से प्रभावी था जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। इस तरह के विचाराधीनता में, याचिकाकर्ता ने एक

विशिष्ट रुख अपनाया कि उसे केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण नजरअंदाज किया गया था और वह दोषमुक्ति के बाद पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नति की हकदार थी। आदेश दिनांक 19.9.2008, संलग्नक P2, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया था जिसके तहत याचिकाकर्ता की निलंबन अवधि यानी 12.9.2002 से 12.12.2002 को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए शुल्क अवधि के रूप में माना जाने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 31.12.2008, संलग्नक P3 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को '10000-325-13900 W. E. F. 25.7.2003 के ग्रेड में HES वर्ग-1 में पदोन्नत किया गया है। हालाँकि, ऐसे आदेश की शर्त संख्या 5 के आलोक में, याचिकाकर्ता को इस तरह की पूर्वव्यापी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण और वरिष्ठता के लाभ का हकदार ठहराया गया है, लेकिन विचाराधीन अवधि के लिए वास्तविक अवशिष्ट नहीं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 25.7.2003 से 31.12.2008 तक की अवधि के लिए वास्तविक अवशिष्ट देने का दावा किया, लेकिन इसे 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत का हवाला देते हुए, 18.8.2009, संलग्नक P5 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(3) यह ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में है कि वर्तमान रिट याचिका दिनांकित 18.8.2009, संलग्नक पी5 पर आक्षेप करते हुए दायर की गई है, और यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को ऐसी अवधि के लिए वेतन/बकाया जारी किया जाए, यानी 25.7.2003 पदोन्नति की वास्तविक तिथि तक।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता को एच. ई. एस. श्रेणी-1 में पदोन्नति का लाभ देने से इनकार करने का एकमात्र आधार आपराधिक कार्यवाही की विचाराधीनता था, और याचिकाकर्ता को प्राथमिकी आर. No.17 दिनांक 5.4.2002 में बरी किए जाने के बाद न केवल उसके कनिष्ठों दोषमुक्ति किए जाने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किए जाने का अधिकार निहित था, बल्कि वह ऐसी अवधि के लिए वेतन की प्रकृति में सभी परिणामी

लाभों का भी हकदार था। इस तरह के तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा रखा है:

1. कंवर लाल शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2005 (1) आरएसजे 575)

2. हुकुम सिंह बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, (2001 (1) आरएसजे 201)

(5) श्री हरीश राठी, विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता हरियाणा तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन अवधि के लिए पदोन्नति पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और तदनुसार, तर्क देंगे कि वह ऐसी अवधि के लिए वेतन के भुगतान की हकदार नहीं है। एक और तर्क दिया गया है कि भले ही दिनांकित 18.8.2009, संलग्नक P5 को चुनौती दी गई हो, फिर भी वेतन अवशिष्ट को दिनांकित 31.12.2008, संलग्नक P3 में निहित शर्त संख्या 5 के आधार पर अस्वीकार आदेश दिया गया था, और जिसे तत्काल रिट याचिका में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

(6) वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता होगी, वह यह होगा कि क्या नियोक्ता/विभाग को उस अवधि के लिए पदोन्नति पद से संबंधित वेतन विचाराधीनता के भुगतान के दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है जब कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया था, जिसमें ऐसी कार्यवाही स्वयं विभाग के कहने पर शुरू नहीं की गई थी?

(7) स्वीकार की गई स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी-विभाग द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत के अनुसरण में उसके खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया था। भले ही याचिकाकर्ता के मामले पर वर्ष 2003 में ही विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था, फिर भी आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया जा सका। इसके बाद, दोषमुक्ति पर, याचिकाकर्ता को वर्ष 2003 से पूर्वव्यापी रूप से एच. ई. एस. श्रेणी-

1 में पदोन्नत किया गया है और उसे वेतन निर्धारण और वरिष्ठता का लाभ भी दिया गया है। यहां तक कि निलंबन अवधि को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाने का आदेश दिया गया है। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन अवशिष्ट के भुगतान का हकदार नहीं होगा जब उसने पदोन्नति के पद के खिलाफ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है।

(8) एक कर्मचारी को वेतन के भुगतान के संबंध में एक प्रश्न, जिसकी सेवाओं को आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति के कारण समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद बरी होने पर बहाल कर दिया गया था और जिसमें दोषी ठहराए जाने वाला अभियोजन नियोक्ता/विभाग के कहने पर नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। भारत संघ और अन्य बनाम जयपाल सिंह (2004 (1) एससीटी 108) का मामला दर्ज किया गया, **निम्नलिखित शर्तों में आयोजित किया गया था:-**

“यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप अंततः संबंधित व्यक्ति को दोषमुक्ति दिया गया था, आदेश पर या स्वयं विभाग द्वारा किया गया था, तो शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि कोई नागरिक कर्मचारी या लोक सेवक किसी आपराधिक मामले में शामिल हो जाता है और यदि निचली निचली अदालत द्वारा प्रारंभिक दोषमुक्ति के बाद, वह बाद में अपील पर बरी हो जाता है, तो विभाग को किसी भी तरह से उसे सेवा से बाहर रखने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि कानून बाध्य करता है कि किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को इस तरह से बाहर रखा जाए और उसे सेवा में नहीं रखा जाए। नतीजतन, निर्णय में दिए गए कारणों पर भरोसा किया गया, क्योंकि अपीलार्थी न केवल आश्वस्त करने वाले हैं, बल्कि तर्कसंगतता के अनुरूप भी हैं। यद्यपि पुनः प्रतिष्ठापन का निर्देश देने वाले आदेश के उस भाग में दिए गए अपवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है और प्रतिवादी को सेवा में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व निर्वहन केवल उन आपराधिक कार्यवाहियों और दोषसिद्धि

के कारण था, अपीलार्थी उस अवधि के लिए प्रतिवादी को वेतन वापस करने से इनकार करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं जब वह सेवा में नहीं था। अपीलार्थी को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए वे प्रत्यर्थी की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी प्रासंगिक पहलुओं और विचारों को ध्यान में रखे बिना, मजदूरी को भी वापस करने की अनुमति देने में एक गंभीर गलती की। नतीजतन, उच्च न्यायालय का आदेश जहाँ तक उसने वापस मजदूरी के भुगतान का निर्देश दिया है, देय है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(9) इस न्यायालय का विचार है कि यही सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होगा।

(10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, मुझे याचिकाकर्ता को विचाराधीन अवधि यानी 25.7.2003 से 7.1.2009 के लिए वेतन अवशिष्ट से इनकार करने में प्रतिवादी-विभाग के निर्णय में कोई बुराई नहीं मिलती है।

(11) याचिका खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा